

26/06/25

उपस्थित अधिकारी
बसेही (बी.ए.ए.ए.) राज.

पत्रावली के इसी वही उक्त का उक्त
प्राप्तिके इसी वही प्रपत्र से लिखवत
जान शामिल पत्रावली विषय जका
पत्रावली वाले इत्यादि विषय
पुरखार दिनांक 26/06/2025 की पत्र
ही है

उपस्थित अधिकारी
बसेही (बी.ए.ए.ए.) राज.

26/06/25

आप पत्रावली पंडित दीनदयाल सख्त
पत्रावली दिनांक जका में पत्र ही
दिनांक में उक्त पत्र नार्को की काली
सुधार से विषय पुरखार उक्त
लगाव नार्को कर्ण/दिनांक में ही प्राप्त
विषय पुरखार। उक्त आनुवा प्रपत्र
की कारन उक्त विषय जका। विस्तार
निर्णय प्रपत्र से लिखवत जान
शामिल पत्रावली उक्त जका पत्रावली
काली सुधार होकर नम्बर से न
होकर काली प्रपत्र ही है

उपस्थित अधिकारी
बसेही (बी.ए.ए.ए.) राज.

| क.सं. | बाद/प्रपत्र |
|-------|-------------|
| 1 | बाद/प्रपत्र |
| 2 | बाद/प्रपत्र |
| 3 | बाद/प्रपत्र |
| 4 | बाद/प्रपत्र |
| 5 | बाद/प्रपत्र |
| 6 | बाद/प्रपत्र |

डिगरी व मुकदमे की इब्दादाई
(ओ 20 ए 6-7 जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुधारानी मीणा आर.ए.एस.

बन्दू बनाम दिनेश बगैरा

1. बन्दू सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह उम्र 34 साल जाति ठाकुर निवासी एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।


वादी

बनाम

1. दिनेश सिंह पुत्रगण विजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. महेश सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
3. प्रबन्धक महोदय, एसबीआई बैंक शाखा तसीमों तह0 सैपउ धौलपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

..... प्रतिवादीगण
दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी—सुधारानी मीणा आर.ए.एस.


उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) तह.

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई
(ओ 20 ए 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुधारानी मीणा आर.ए.एस.

बन्दू बनाम दिनेश बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 46/20

वादीगण की की ओर से श्री सुखराम सिंह परमार एडवोकेट की उपस्थित में
इस वाद में आज तारीख 26.06.2025 को सुधारानी मीणा (आर.ए.एस.)

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुरे कायमी रिपोर्ट (विभाजन
प्रस्ताव) डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि एकटा तहसील बसेडी में विभाजन प्रस्ताव
में पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काशत बसेडी में निम्नानुसार
रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगे।

(सुधारानी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी
बसेडी (ब.पुर) तज.

| वादी | प्रतिवादी | |
|----------------------------|-----------|-------|
| | रुपये | रुपये |
| 1. यह नु के लिए स्टाम्प | | |
| 2. शकेत नु के लिए स्टाम्प | | |
| 3. अर्जियों के लिए स्टाम्प | | |
| 4. कुरे पर स्टीडर की फीस | | |
| 5. नादियों के लिए निर्वाह | | |
| 6. कानिस्तर की फीस | | |
| 7. आदेशिका की तामील | | |
| जोड | | जोड |

(सुधारानी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी
बसेडी (ब.पुर) तज.